करंट अफेयर्स (02-01-2024)

कौटिल्य एकेडमी

16वाँ वित्त आयोग :

अध्यक्ष - अरविंद पनगढ़िया

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगढ़िया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी प्रदान की गई।

- नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया रह चुके है। (नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक)
- **ऋत्विक रंजनम पांडेय** को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया।
- **चेयरमेन और कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल -** 31 अक्टूबर, 2025 तक होगा।
- **एन. के. सिंह** 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।

वित्त आयोग :

- संविधान के अनुच्छेद-280 में स्थापित
- संवैधानिक संस्था
- केन्द्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बंटेगा, कैसा बंटेगा, इसकी देख-रेख करता है।
- पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था।
- **अध्यक्ष -** के.सी. नियोगी

एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - इसरो द्वारा 1 जनवरी, 2024 को एक्सपोसेट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया गया।

- **प्रक्षेपण यान -** PSLV-C58 (पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया जायेगा)
- **सैटेलाइट -** एक्सपोसैट
- **स्थान -** श्रीहरिकोटा (आंध्रप्रदेश)
- यह प्रक्षेपण यान पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया जायेगा।
- **मिशन का उद्देश्य -** यह मिशन खगोलीय स्त्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है।
- इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया।
- एक्सपोसैट के साथ प्रक्षेपित 10 अन्य पेलोड जिन संस्थानों से है उनमें - टेक मी टू स्पेस, एलबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमन, केजे सौमया इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, इंस्पेसिटी स्पेस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और इसरो से तीन पेलोड शामिल है।

ISRO (इसरो) के बारे में :

- भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान
- **स्थापना :** 15 अगस्त, 1969 (1962 में - इनकोस्पार)
- **मुख्यालय -** बैंगलोर (कर्नाटक)
- **Space Port :** सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्री हरिकोटा (आंध्रप्रदेश)
- **वर्तमान अध्यक्ष -** एस. सोमनाथ
- **आदर्श वाक्य -** मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- **भारत का पहला उपग्रह -** आर्यभट्ट (19 अप्रैल, 1975) छोड़ा गया।
- **दूसरा उपग्रह -** भास्कर (7 जून, 1979)

'हिट एंड रन' कानून

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है।
- इस बिल को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है।
- अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है।
- इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है।
- **नए नियम :** अगर गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बिना बताए वहां से फरार हो जाता है तो उसे
  1. 10 साल की सजा के अलावा
  2. 7 लाख जुर्माना भी लगेगा

हिट एंड रन क्या है?

- हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना।
- अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं।

अब तक क्या था कानून :

- अभी तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आरोपी को दो साल की सजा मिल सकती है। इसके अलावा किसी खास मामले में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है।

नए कानून के किस प्रावधान का हो रहा विरोध :

- सरकार ने हिट एंड रन प्रावधान को बेहद सख्त कर दिया है।
- नए कानून में हिट एंड रन के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- पहले हिट एंड रन केस में सिर्फ दो साल की सजा और जुर्माना था।
- कई ट्रक ड्राइवर इस कंफ्यूजन में हैं कि यह कानून सिर्फ उनके लिए है।
- ड्राइवरों की मांग है कि हिट एंड रन कानून को इतना सख्त न किया जाए।